



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर – 222003

Email : connectpuregistrar@gmail.com
www.vbspu.ac.in

फोन नं०- 05452-252244

पत्रांक- 1392/ यूजीसी/ यूजीसी/ 2022

दिनांक- 10.01.2022

11-01-2022

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष

विश्वविद्यालय परिसर पाठ्यक्रम

वी०ब० सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

2. प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालय

वी०ब० सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

विषय- CSIR/MoTA/JRF/SRF/MANF/RGNF/NFOBC/ तथा अन्य फेलोशिप से सम्बन्धित बिन्दुवार सूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आपके महाविद्यालय/शोध केन्द्र में शोधरत्न शोधार्थी जो सी०एस०आई०आर० एवं यूजीसी के विभिन्न स्कीम के अन्तर्गत फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं उन शोधार्थियों के शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य/प्राचार्या/संकायाध्यक्षों द्वारा निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाय कि:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत Covering letter तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 12th Plan Guideline, के अनुसार छात्र को निर्गत JRF Award Letter में उल्लिखित दिशा निर्देशों विशेषकर "The Awardee is required to get admission and registration for regular and full time M.Phil/Ph.D. Course" के अनुपालन में फेलोशिप प्राप्ति हेतु JRF/SRF Continuation के विभिन्न Annexures (Fellowship, HRA, Contingency & Progress Report) में उल्लिखित बिन्दुओं को पूर्ण रूप से पूरित कर केनरा बैंक-यूजीसी ऑन लाइन पोर्टल पर अग्रसारण हेतु प्रत्येक माह के 12 तारीख या उससे पहले विश्वविद्यालय के यूजीसी प्रकोष्ठ में उपलब्धता सुनिश्चित कराये, जिससे की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर शोधार्थियों का फेलोशिप एवं अन्य भुगतान समय से प्राप्त हो सके। अपूर्ण प्रपत्र विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. शोध निर्देशक/निर्देशिका द्वारा फेलोशिप प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रोफार्मा (Covering letter) के बिन्दु संख्या-8 पर यह स्पष्ट उल्लिखित हो कि- "शोध छात्र/छात्रा की उपस्थिति नियमित है, शोध कार्य प्रगति पर है एवं मैं इनके कार्यों से संस्तुष्ट होते हुये उपरोक्त अवधि का फेलोशिप एवं अन्य प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति करता हूँ" के साथ Continuation Annexure अग्रसारित किया जाय। शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य द्वारा किये गये हस्ताक्षर के नीचे उनके नाम का मुहर भी लगाया जाना अनिवार्य है।
3. शोध निर्देशक/विभागाध्यक्ष शोधार्थियों की उपस्थिति पंजिका अद्यतन रखें तथा विश्वविद्यालय के सक्षम द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर प्रस्तुत करें।
4. फेलोशिप प्राप्तकर्ता से सम्बन्धित समस्त Contingency प्रपत्र, उपस्थित पंजिका, काण्टीजेंसी स्टॉक रजिस्टर आदि के अद्यतन रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित शोध छात्र/महाविद्यालय की होगी।
5. शोधार्थी द्वारा Contingency हेतु Stock Register पूरित किया जाय तथा Contingency के भुगतान अग्रसारण के समय Stock Register (सम्बन्धित शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित) यूजीसी प्रकोष्ठ में अवलोकित कराये। शोधार्थी द्वारा लिये गये Contingency की Audit की कार्यवाही सम्बन्धित महाविद्यालय/शोध केन्द्र द्वारा की जायेगी।
6. शोध निर्देशक सुनिश्चित करें कि समय पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की आख्या (Prescribed Annexure Format पर) के अन्तर्गत समस्त बिन्दुओं यथा शोधार्थी द्वारा लिये गये व्याख्यानों/प्रयोगात्मक कार्य का उल्लेख करते हुये संक्षिप्त आख्या (शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य द्वारा प्रमाणित) के साथ यूजीसी प्रकोष्ठ में जमा करें।
8. SRF Upgradation की प्रक्रिया विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। SRF Upgradation के लिये विश्वविद्यालय के मा० कुलपति/कुलसचिव से पत्राचार कर तीन सदस्यीय समिति (जिसमें एक अन्य विश्वविद्यालय से बाह्य विषय विशेषज्ञ तथा दो सदस्य महाविद्यालय से) की सूचना पूर्व से उपलब्ध करायी जाय ताकि निर्धारित तिथि पर विश्वविद्यालय में बैठक की व्यवस्था की जा सके। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी भुगतान देय नहीं होगा।

09. Marks Exception हेतु विलम्ब से प्रस्तुत होने का उचित कारण (Genuine Reasons) का साक्ष्य तथा निर्धारित प्रोफार्मा पर अपने शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य से हस्ताक्षर एवं संस्तुत कराकर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में Marks Exception के लिये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. ऐसे फेलोशिप प्राप्तकर्ता जो किसी भी सेवा में चयन के उपरान्त फेलोशिप बन्द किये जाने हेतु आवेदन करते हैं, उनको कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित पत्र जिसे शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य से अग्रसारित किया गया हो (जिसमें पद भार ग्रहण करने एवं फेलोशिप बन्द किये जाने की तिथि उल्लेख हो) साथ में नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने का प्रपत्र संलग्न कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि फेलोशिप, एच0आर0ए0 काण्टीजेंसी बकाया हो तो उसका Annexure भी साथ में नियमानुसार प्रपत्र पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
11. यू0जी0सी0-केनरा बैंक पोर्टल से संज्ञान में आया है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत यू0जी0सी0 नई दिल्ली द्वारा पूर्व में अप्रैल-2020 से नवम्बर 2020 तक एवं वर्तमान में अक्टूबर 2021 तक की Fellowship and HRA Auto Generate कर सीधे शोधार्थियों के खाते में Credit की गयी है। वर्तमान में अधिकांश शोधार्थी विभिन्न राजकीय विभागों में सेवारत हो गये/कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं उन्हें भी Auto Generate के तहत फेलोशिप उनके खाते में PFMS के द्वारा सीधे Credit हो रहा है। एक ही समय में 02 अलग-अलग विभागों/संस्थानों से एक ही कार्यदिवस की धनराशि प्राप्त करना नियम विरुद्ध है। उक्त श्रेणी में आने वाले शोध छात्र/छात्रा जो सरकारी सेवा में रहते फेलोशिप भी प्राप्त किये हों वे नियमानुसार फेलोशिप को बन्द कराते हुये कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि के बाद अवमुक्त फेलोशिप एचं एच0आर0ए0 की धनराशि (जो भी हो) को UGC New Delhi से प्राप्त निम्नलिखित खाते में RTGS करते हुये उसकी प्रति The Section Officer (SA-1), University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002 तथा कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को भी प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी।

Account No. : 3525101000764
 IFSC Code : CNRB0003525
 Name : UGC JRF SHSS
 Branch : GOVT BUSINESS MODULE DELHI
 Bank : CANARA BANK

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन सम्बन्धित शोध निर्देशक से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, मा0 कुलपतिजी जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त शोध निर्देशक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय परिसर पाठ्यक्रम, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. समस्त शोध निर्देशक/विभागाध्यक्ष, सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालय/शोध केन्द्र, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
6. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करायें।
7. सूचना पट्ट।


 कुलसचिव

सेवा में,

नोडल आफिसर, यू०जी०सी० फेलोशिप/उप कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

द्वारा- शोध निर्देशक/निर्देशिका डॉ.....

विषय- यू०जी०सी० फेलोशिप प्राप्त किये जाने हेतु यू०जी०सी०/केनरा बैंक के पोर्टल पर
Annexure(s) अग्रसारित/अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
से सम्बद्ध में शोध हेतु
पंजीकृत है। यू०जी०सी० योजनान्तर्गत निम्नानुसार फेलोशिप ऑन लाइन अग्रसारित/अपलोड किया
जाना है:-

1- Name of the Awardee (Scholar) -----Subject -----

2- Nature of Scheme under which ----- Award Ref. No. -----
fellowship drawn

3- Date of Commencement of Fellowship ----- Whether JRF or SRF-----

4- Period of Fellowship - From ----- to ----- (Total Month -----)

5- Period HRA From ----- to ----- (Total Month -----)

6- Contingency on Quarterly From ----- to ----- (Total Amt. Rs. -----)
basis as (March, June, Sept & Dec.)7- Whether Progress Report submitted
to UGC cell either half yearly or
annually mentioned Y/N with
specific year (Compulsory)

Yes/No 1 st Year -----	Yes/No 2 nd Year -----	Yes/No 3 rd Year -----	Yes/No 4 th Year -----	Yes/No 5 th Year -----

8- Comments of the supervisor related to -----
attendance & progress of the Fellow during
the reporting period. (Supervisor is requested -----
to kindly fill the lines with your specific
comments in your own hand writing) -----

Signature of Scholar
Mobile No.
Date:-----

Signature of The Supervisor
with Seal & Date
Mobile No.

Signature of the Principal
with Seal & Date
Mobile No.

----- For UGC Cell Office use only -----
Specific Comments by cell: